IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 9, Issue 1, September 2020
Impact Factor: 4.819

हमारे देशों में मानवाधिकारों का महत्व

डॉ. जावेद अख्तर
सहायक प्रोफेसर
राजकीय महाविद्यालय अतरौली, अलीगढ़।

अभिपुष्टि– विश्व के सभी देशों में सभी मानव अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा व उन्नति के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उद्देश्यों व सिद्धांतों के पालन के महत्व की पुनः अभिपुष्टि की गयी है।

घोषणा– ''मानव अधिकार की वैश्विक उद्घोषणा और मानव अधिकार संकल्प 2200ए (21) संलग्नक की प्रस. विदा के महत्व को मानव अधिकार व मौलिक स्वतःन्त्रता के संरक्षण एवं वैश्विक समता को प्रोत्साहित करने वाले आधार भूत अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के रूप में अभिपुष्टि करती है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था एवं उसी प्रकार क्षेत्रीय स्तर पर अपनाये जाने वाले उपकरणों के महत्व की भी अभिपुष्टि करती है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों से संयुक्त रूप से और अलग–अलग अपने दायित्व को पूर्ण सत्यनिष्ठा से पालन करने पर साधारण सभा जोर देती है कि वे मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतन्त्रता के आदर को प्रोत्साहित करने एवं उन्नत करने की दिशा में हर प्रकार के भेदभाव, जिसमें नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक विचारधारा, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या अन्य स्तर का भेदभाव सम्मिलित है, के बिना अपने दायित्वों की पूर्ति करने और चार्टर के मुताबिक दायित्व पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के महत्व की भी अभिपुष्टि करती है।

अभिस्वीकृति– साधारण सभा व्यक्तियों, दलों एवं संस्थाओं के योगदान और उनके द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्राप्त होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व की अभिस्वीकृति करता है, जो मानव अधिकारों एवं व्यक्तियों की मौलिक स्वतन्त्रता के उल्लंघन के निराकरण, जिसमें व्यापक स्तर पर गंभीर एवं व्यवस्थित उल्लंघन भी सम्मिलित है, जिसके परिणामस्वरूप रंग–भेद तथा हर प्रकार के नस्लीय भेदभाव, उपनिवेश वाद, विदेशी या व्यवसायिक प्रभुत्व, राष्ट्रीय सम्प्रभुता व राष्ट्रीय एकता या अखण्डता को हर प्रकार की धमकी एवं व्यक्तियों के स्व–निश्चय व उनके संपूर्ण धन व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार की पूर्ण संप्रभुता व मान्यता से विरोधी जैसे उल्लंघन उत्पन्न हुए।
मान्यता– साधारण सभा अंतर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा और मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतन्त्रता के उपभोग के बीच संबंधों की मध्यता देती है और उल्लेखित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा पालन विधिहन्ता के लिए क्षमा का आधार नहीं होगा।
दोहराती है– साधारण सभा मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतन्त्रताओं को, वैश्विक, अविभाज्य, अन्तर्निधारित एवं अर्न्तसंबन्धित होने के तथ्य को दोहराती है तथा यह सभी अधिकार निष्पक्ष रूप से समानता के साथ एंव पूर्वाग्रहरहित होकर लागू किये जाने चाहिए। जोर देती हैकृ मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा करना और इन्हे उन्नत करना राज्य का प्राथमिक दायित्व है।
मान्यता देती है– मानव अधिकारों के ज्ञान एवं आदर को उन्नत करने के ज्ञान को राश्ट्रीय एवं अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने का दायित्व व अधिकार व्यक्ति, समूह और संस्थाओं का है।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 9, Issue 1, September 2020 Impact Factor: 4.819

अनुच्छेद 1

प्रत्येक को यह अधिकार है, व्यक्तिगत तथा दूसरों के साथ, कवह राश्ट्रीय तथा अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं की संरक्षता व अनुभूति के लिए प्रोत्साहित व संघर्श करें।

अनुच्छेद 2

1. हर राज्य की यह मूल भूत जिम्मेदारी व कर्तव्य है कि वह समस्त मानवाधिकारों व मूल भूत स्वतन्त्रताओं को लागू व प्रोत्साहित करें। ऐसे कदम उठाये जो कि समस्त ऐसी स्थिति को बनाये जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा अन्य क्षेत्रों में कारगर हो व जरूरी साथ ही वे समस्त कानूनी शर्तें जो यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं कि सभी व्यक्ति अपने राज्य क्षेत्र में, व्यक्तिगत तथा दूसरों के साथ सामूहिक रूप से सभी अधिकारों व स्वतन्त्रता का उपभोग करने योग्य हों।
2. हर राज्य ऐसे प्रशासनिक, वैधानिक व अन्य कदम उठायेगा जो वर्तमान घोषणा–पत्र से संबन्धित अधिकारों व स्वतन्त्रताओं को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

अनुच्छेद 3

घरेलू कानून, जो मानवाधिकार तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के शासन पत्र तथा अन्य राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय औपचारिकताओं के अनुरूप है, एक न्यायिक ढांचा है, जिसके अन्तर्गत मानवाधिकार तथा मूल भूत स्वतन्त्रताएं लागू की जानी चाहिए, जिसमें उन अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं के प्रभावपूर्ण संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिए सभी क्रियाकलापों जो वर्तमान घोषणा पत्र से संबन्धित हैं का संचालन किया जाये।

अनुच्छेद 4

वर्तमान घोषणा पत्र से यह अनुमान नहीं लगाया जायेगा कि इसकी कोई भी बात संयुक्त राष्ट्र के शासन पत्र के किसी भी उद्देश्य या सिद्धान्त के विरोधाभाषी या क्षीण करने वाली है अथवा यू.डी.एच.आर. के किसी भी उपबन्धों, मानवाधिकारों पर दो अन्तर्राष्ट्रीय शर्तें तथा अन्य अर्न्तराष्ट्रीय सन्धि व उपकरण जो भी इस क्षेत्र में लागू हों, को सीमित व अनादर करने के लिए है।

अनुच्छेद 5

प्रत्येक को, राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत व दूसरों के साथ, मानवाधिकारों और मूल–भूत स्वतन्त्रताओं को प्रोत्साहित व संरक्षित करने के उद्देश्य से, निम्न लिखित अधिकार है–

1. शान्तिपूर्वक मिलना या एकत्र होना।
2. किसी गैर सरकारी संस्थाओं, संघों अथवा समूहों का निर्माण, उसमें जुड़ना व भाग लेना।
3. गैर सरकारी अथवा अन्तर सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क रखना।

अनुच्छेद 6

प्रत्येक को यह अधिकार है व्यक्तिगत तथा दूसरों के साथ कि:–

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 9, Issue 1, September 2020 Impact Factor: 4.819

1. समस्त मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं के बारे में जानकारी प्राप्त, एकत्र, हासिल तथा वहन करना, जिसमें ऐसी जानकारियों तक पहुंच भी सम्मिलित हैं जो उन अधिकारों व स्वतन्त्रताओं से सम्बन्धित हैं जो घरेलू विधान, न्यायिक व प्रशासनिक तन्त्रों को प्रभावी बनाते हैं।
2. जैसा कि मानवाधिकारों तथा अन्य प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय उपकरणों में उपबन्धित किया गया है, समस्त मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं पर दूसरों के विचार, जानकारी व ज्ञान को प्रदत्त, छापने अथवा प्रसार की स्वतन्त्रता।
3. समस्त मानवाधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं, दोनों कानूनी व क्रियान्वित रूप की अनुपालन पर अध्ययन, चर्चा तथा मत बनाना तथा ऐसे व अन्य उपयुक्त माध्यमों से लोगों का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्शित करना।

अनुच्छेद 7

प्रत्येक को यह अधिकार है, व्यक्तिगत व दूसरों के साथ कवह नये मानवाधिकार सम्बन्धित विचार व सिद्धान्तों को विकसित कर उन पर चर्चा करे तथा अपने विचारों की मान्यताओं की वकालत करें।

अनुच्छेद 8

1. प्रत्येक को यह अधिकार है, व्यक्तिगत व दूसरों के साथ कि वह अभेदभाव पूर्ण आधार पर अपने देश की सरकार में सहभागिता व लोक कार्य में संचालन तक प्रभावी पहुंच रख सकें।
2. लोक कार्यों से जुड़ी सरकारी संस्थायें व एजेन्सियों के समक्ष आलोचना व सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार व्यक्तिगत व दूसरों के साथ भी सम्मिलित हैं जो उनकी कार्यषीलता को बढ़ाने के लिए व उनका ध्यान उन्हीं के किसी कार्यविषेश की तरफ आकृश्ट करने के लिए लाभकारी हो, जो मानवाधिकारों व मूलभूत स्वतन्त्रताओं के प्रोत्साहन संरक्षणा व कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हो।

अनुच्छेद 9

1. मानवाधिकारों व मूलभूत स्वतन्त्रताओं के क्रियान्वयन में जिसमें मानवाधिकारों के प्रोत्साहन व संरचना सम्मिलित है प्रत्येक को व्यक्तिगत व दूसरों के साथ यह अधिकार है कि उन्हें उन अधिकारों का हनन् होने पर संरक्षण व प्रभावी उपचार का फायदा मिले।
2. वो सभी, जिनके अधिकार व मूल भूत स्वतन्त्रताओं का हनन हुआ है उन्हें यह अधिकार है, व्यक्तिगत कानून प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कि वह इस की शिकायत कर सके तथा इन शिकायत का त्वरित रूप से अवलोकन जन सुनवाई में एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सक्षम न्यायिक अथवा कानूनी रूप से संस्थापित प्राधिकारी के समक्ष किया जाये तथा उसे ऐसे प्राधिकारण से कानून के अनुरूप निर्णय मिले जो उसे हर्जाना व मुआवजा प्रदान करें।
3. प्रत्येक को यह अधिकार है व्यक्तिगत व दूसरों के साथः
   अ. व्यक्ति विशेष अधिकारी तथा सरकारी संस्था की योजना व क्रियान्वयन के विरुद्ध मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं के हनन् के सम्बन्ध में शिकायत, किसी याचिका अथवा अन्य युक्ति युक्त साधनों द्वारा, सक्षम घरेलू न्यायिक, प्रशासनिक अथवा वैधानिक प्राधिकरण अथवा कानूनी रूप से संस्थापित प्राधिकारी के समक्ष कर सकें जो इस शिकायत का निर्धारण त्वरित रूप से करें।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 9, Issue 1, September 2020 Impact Factor: 4.819

ब. जन सुनवाइयों, कार्यवाहियों व विचारों में उपस्थिति होने का अधिकार ताकि वे राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय औपचारिकताओं तथा वचनबद्धता की पालन अपने मत बनायें।

स. मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं के बचाव लिए अपने पेशेवर योग्य कानूनी सलाह अथवा अन्य सम्बन्धित सलाहों व सहयोग प्रदान करने का अधिकार।

4. प्रभावित अन्तर्राष्ट्रीय उपकरणों व विधि के अनुसार प्रत्येक को यह अधिकार है व्यक्तिगत व दूसरों के साथ, कि वह बिना किसी रूकावट के अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से आम अथवा विशेष योग्यता के साथ मानवाधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं के मामलों के सम्बन्ध में सम्पर्क कर सकें।
5. राज्य को जब भी विश्वास योग्य आधार मिलेगा कि उसके क्षेत्राधिकार में किसी प्रदेश में मानवाधिकार तथा मूलभूत स्वतन्त्रता का हनन् हुआ है तो वह इसके सम्बन्ध में त्वरित व निष्पक्ष अन्वेक्षण अथवा जांच करवायेगा।

अनुच्छेद 10

कोई भी ऐसे किसी भी कार्य या उसके प्रयास में भागीदारी नहीं होगा जिससे मानवाधिकार और मूल भूत स्वतन्त्रता का हनन् हो तथा किसी को भी ऐसे किसी कार्य को मना करने पर सजा अथवा प्रतिकूल कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अनुच्छेद 11

प्रत्येक को यह अधिकार है व्यक्तिगत व दूसरों के साथ कि वह अपने व्यवसाय अथवा पेशों का विधिक रूप से क्रियान्वयन कर सकें। प्रत्येक जिसके पेशे अथवा व्यवसाय का असर दूसरों के मानव सम्मान, मानवाधिकार तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं पड़ता हो, वे उन अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का सम्मान करेंगे तथा सम्बन्धित राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसायिक व पेशेवर मूल्यों के मापदण्डों का पालन करेंगे।

अनुच्छेद 12

1. प्रत्येक का यह अधिकार है, व्यक्तिगत व दूसरों के साथ, कि वह मानवाधिकारों व मूल भूत व स्वतन्त्रताओं के हनन् शान्तिपूर्ण कार्यों में हिस्सा ले सकें।
2. राज्य ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठायेगा जो सक्षम अधिकारिकताओं द्वारा सभी को उनके वर्तमान घोषणा पत्र से सम्बन्धित विधिक अधिकारों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप पैदा हुई हिंसा, खतरे, प्रतिकार, प्रतिकूल भेद भाव, दबाव अथवा अन्य किसी मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण को सुनिश्चित करें।
3. इस संदर्भ में, प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से व दूसरों के साथ इस बात का हकदार है कि वह राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत, किसी कार्यवाही अथवा कार्य के विरुद्ध शान्ति पूर्ण माध्यमों द्वारा विरोध दर्शाने पर प्रभावी रूप से संरक्षित हो। इसमें राज्य के वो विलोपन भी शामिल हैं जिसके फलस्वरूप मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं का हनन् हो साथ ही वो समस्त हिंसा के कार्य जो किसी समूह अथवा व्यक्तियों द्वारा किया गया हो जिसका असर मानवाधिकार अथवा मूलभूत स्वतन्त्रता के क्रियान्वयन पर पड़े।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 9, Issue 1, September 2020
Impact Factor: 4.819

अनुच्छेद 13

प्रत्येक को यह अधिकार है, व्यक्तिगत तथा दूसरों के साथ, वर्तमान घोषणा पत्र के अनुच्छेद 3 के अनुसार, मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रता के प्रोत्साहन व संरक्षण के लिए शान्ति पूर्वक किसी संसाधन के लिए निवेदन, उसका उपयोग तथा उसको प्राप्त करें।

अनुच्छेद 14

1. राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह वैधानिक, न्यायिक, प्रशासनिक अथवा अन्य युक्ति–युक्त उपाय करें जिससे उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को उनके दीवानी, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति सजगता व समझ का प्रोत्साहन मिले।
2. ऐसे उपाय यह सम्मिलित करेंगेः–
   अ. राष्ट्रीय कानूनों तथा नियमन तथा मौलिक अन्तर्राष्ट्रीय उपकरणों की उपलब्धता व प्रकाशन।
   ब. मानवाधिकारों के क्षेत्र में दस्तावेजों तक पूर्ण व समान पहुंच, जिसमें राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों द्वारा स्थापित निकायों को मियादी रिपोर्ट भी शामिल है, साथ ही ऐसे निकायों की कार्यलयों तथा चर्चा सम्बन्धित अभिलेखों का सार।
3. राज्य जहां पर भी युक्ति युक्त हो स्वतन्त्र राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण व विकास को सहयोग सुनिश्चित करेगा जो मानवाधिकार तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं को उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रदेशों में प्रोत्साहित व संरक्षित करती है।

अनुच्छेद 15

राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह मानवाधिकारों तथा मूल–भूत स्वतन्त्रताओं की शिक्षा के समस्त स्तरों पर प्रोत्साहित व उपलब्ध करवाये। तथा यह सुनिश्चित करें कि ऐसे समस्त लोग जो वकीलों, कानून प्रवृत्त अधिकारियों, सेना के अधिकारी लोक अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार हैं वे अपनी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानवाधिकार शिक्षा को युक्ति युक्त ढंग से सम्मिलित करें।

अनुच्छेद 16

व्यक्ति, गैर सरकारी संस्थायें तथा सम्बन्धित संस्थायें लोगों को मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं से सम्बन्धित समस्त प्रश्नों के प्रति शिक्षा, प्रशिक्षण, व शोध के माध्यम से जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तथा साथ ही समस्त धार्मिक व जातीय समूहों में समझदारी, सहिष्णुता, शान्ति व दोस्ताना रिश्ते का निर्माण करने में, जिसमें वह सामाजिक व सामुदायिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखें।

अनुच्छेद 17

वर्तमान घोषणा पत्र से सम्बन्धित अधिकारों व स्वतन्त्रताओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से तथा दूसरों के साथ सिर्फ ऐसी मर्यादायें लागू होगीं जो अन्तर्राष्ट्रीय औपचारिकता के अनुरूप हों तथा जो कानून द्वारा पूर्ण रूप से दूसरों के अधिकारों व स्वतन्त्रताओं को सम्मान व ध्यान में रखते हुए निर्धारित कि गई हों तथा वो प्रजातान्त्रिक समाज के लोक नैतिकता व कल्याण के जरूरतों के अनुसार हों।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 9, Issue 1, September 2020
Impact Factor: 4.819

अनुच्छेद 18

1. प्रत्येक का अपने समुदाय के प्रति व उसमें रहते हुए कुछ कर्तव्य है जिसमें उनका सम्पूर्ण व्यक्तिगत विकास सम्भव हो सके।
2. व्यक्ति, समूह, संस्थायें तथा गैर सरकारी संस्थायें प्रजातन्त्र को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं जिसमें मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं को प्रोत्साहित करने में तथा प्रजातान्त्रिक समाज व संस्था को प्रोत्साहन करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
3. व्यक्ति, समूह, संस्थायें तथा गैर सरकारी संस्थायें प्रत्येक के अधिकारों के सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभाते हैं जिसमें यू. डी. एच. आर में अधिकार व स्वतन्त्रताऐं तथा अन्य मानवाधिकार उपकरणों का पूर्ण उपयोग हो सके।

अनुच्छेद 19

वर्तमान घोषणा पत्र का कोई भी उपबन्ध किसी व्यक्ति, समूह, सामाजिक निकाय अथवा राज्य को किसी भी ऐसे कार्य करने व उसमें लिप्त होने का अधिकार नहीं देता जिससे वर्तमान घोषणा पत्र की किसी भी अधिकार व स्वतन्त्रताओं का हनन् हो।

अनुच्छेद 20

वर्तमान घोषणा पत्र का कोई भी उपबन्ध किसी भी राज्य को यह अनुमति नहीं देता की वह संयुक्त राष्ट्र के शासन पत्र के विरुद्ध किसी भी व्यक्तियों का समूह, संस्था अथवा गैर सरकारी संस्थाओं की कार्यवाही को प्रोत्साहन अथवा सहयोग दें।

मानवाधिकारों को मनुष्य के जीवन को आदर्श रूप प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं। इनके अभाव में मानवीय जीवन सामाजिक न होकर आदिम हो जाता है। ये मानव जीवन का आत्म प्रदान करते हैं।

शोध सन्दर्भ

1. Human Rights Issues and Challenges Lesben Page 13] 14
2. Human Rights and good Governance National and International Perspecties Page 102] 103 Dr- Gopal Chandra
3. Human Rights% Concern of the future write – Goptal Bhargawe] Page – 86] 87
4. H-R-D Refresher Course] AMU] Notice Concern
5. Declaration of Human Rights of UNO-